

## प्रेस, नयितकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023

### प्रलिस के लयः

प्रेस और पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867, मेटकाफ अधिनियम, जॉन एडम्स द्वारा लाइसेंसिंग वनियम ।

### मेन्स के लयः

भारत में प्रेस वनियमन, प्रेस की मुख्य वशिषताएँ और नयितकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा ने [प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867](#) के औपनवशक युग के कानून को नरिस्त करते हुए प्रेस, नयितकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 पारति कया ।

- यह अधिनियम अगस्त 2023 में राज्यसभा द्वारा पहले ही पारति कया जा चुका है ।

### प्रेस, नयितकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 की मुख्य वशिषताएँ क्या हैं?

- पत्रिकाओं का रजिस्ट्रीकरण:** यह अधिनियम पत्रिकाओं के रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान करता है, जसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचार पर टपिपणयों वाला कोई भी प्रकाशन शामिल है ।
  - पत्रिकाओं में **कतिबेँ या वजिज्ञान से संबधति** और **अकादमिक पत्रिकाएँ** शामिल नहीं हैं ।
    - जबकि अधिनियम समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान करता है । इसने पुस्तकों की सूचीकरण की भी व्यवस्था की ।
    - पुस्तकों को अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि एक वषिय के रूप में पुस्तकों का प्रबंधनमानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा कया जाता है ।
- प्रकाशनों हेतु रजिस्ट्रीकरण प्रोटोकॉल:** अधिनियम प्रकाशकों को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल और नरिदषिट स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण करने में सकषम बनाता है ।
  - इसके अलावा **आतंकवाद या राज्य सुरक्षा** के खलिफ कार्रवाई के दोषी व्यक्तियों के लयि कसिी पत्रिका का प्रकाशन नषिदिध है ।
  - जबकि अधिनियम में **जलिा मजसिस्ट्रेट को एक घोषणा पत्र देना अनविर्य था**, जसिे इसे समाचार पत्र प्रकाशन के लयि प्रेस रजिस्ट्रार के पास भेजना था ।
- वदिशी पत्रिकाएँ:** भारत के भीतर वदिशी पत्रिकाओं के मुदरण के लयि **केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन** की आवश्यकता होती है । ऐसी पत्रिकाओं के पंजीयन के लयि वशिषिट प्रोटोकॉल की रूपरेखा तैयार की जाएगी ।
- प्रेस महा-रजिस्ट्रार:** यह अधिनियम **भारत के प्रेस महा-रजिस्ट्रार** की भूमिका की व्याख्या करता है, जो सभी पत्रिकाओं के लयि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने हेतु उत्तरदायी है ।
  - इसके अतरिकित उसके कर्तव्यों में **पत्र-पत्रिकाओं के रजिस्ट्र बनाए रखना, पत्र-पत्रिकाओं के शीर्षकों के लयि दशा-नरिदेश स्थापति करना, परचालन आँकड़ों की पुषटि करना तथा रजिस्ट्रीकरण संशोधन**, नलिंबन एवं रददीकरण का प्रबंधन करना शामिल है ।
- मुदरण प्रेस रजिस्ट्रीकरण:** प्रटिगि प्रेस से संबधति घोषणाएँ अब **जलिा मजसिस्ट्रेट** के समकष की गई घोषणाओं की आवश्यकता से हटकर **प्रेस महारजिस्ट्रार** को ऑनलाइन जमा की जा सकती हैं ।
- रजिस्ट्रीकरण का नलिंबन तथा रदद करना:** प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने, प्रकाशन में रुकावट अथवा अनुचति वारषक वविरण प्रदान करने सहति वभिन्निन कारणों से कसिीपत्रिका के **रजिस्ट्रीकरण को न्यूनतम 30 दिनों (180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है) के लयि नलिंबति करने का अधिकार** है ।
  - इन मुददों को हाल करने में वफिलता के परणामस्वरूप रजिस्ट्रीकरण रदद कया जा सकता है ।
  - रदद करने के अन्य आधारों में **अन्य पत्रिकाओं के साथ शीर्षकों की समानता** अथवा स्वामी/प्रकाशक द्वारा **आतंकवाद अथवा**

राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध कृत्यों से संबंधित दोषसिद्धि शामिल है।

- **दंड और अपील:** यह विधायक महारजिस्ट्रार को **अपजीकृत पत्र-पत्रिका प्रकाशन** अथवा नरिदष्टि समय-सीमा के भीतर वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में वफ़िलता के लिये **जुर्माना लगाने का अधिकार** देता है।
  - इन नरिदेशों का पालन न करने पर **छह महीने** तक की कैद हो सकती है।
  - इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों को अस्वीकार करने, रजिस्ट्रीकरण के नलिंबन/रददीकरण अथवा लगाए गए दंड के विरुद्ध अपील के प्रावधान **प्रेस और रजिस्ट्रीकरण अपीलीय बोर्ड के समक्ष अपील दायर करने के लिये 60 दिनों की अवधि** के साथ उपलब्ध है।

## प्रेस विनियमन से संबंधित अन्य स्वतंत्रता-पूर्व कानून क्या हैं?

- **लॉर्ड वेलेज़ली (वर्ष 1799) के तहत सेंसरशिप:** फ्राँसीसी आक्रमण की आशंकाओं के कारण पूर्व-सेंसरशिप सहित सख्त युद्धकालीन प्रेस नियंत्रण लागू किया गया।
  - बाद में सन् 1818 में **लॉर्ड हेस्टिंग्स** द्वारा प्री-सेंसरशिप हटाकर इसमें ढील/छूट दी गई।
- **जॉन एडमस द्वारा लाइसेंसिंग विनियम (1823):** बनिा लाइसेंस के प्रेस शुरू करने या संचालित करने के लिये दंड का प्रावधान किया गया, जिससे बाद में बढ़ते हुए विभिन्न प्रकाशनों पर लागू कर दिया गया।
  - मुख्य रूप से भारतीय भाषा के समाचार पत्रों या भारतीयों के नेतृत्व वाले समाचार पत्रों को नशाना बनाया गया, जिसके कारण **राममोहन राय का मरिात-उल-अकबर** बंद हो गया।
- **प्रेस अधिनियम, 1835 (मेटकाफ अधिनियम):** प्रतबंधात्मक 1823 अध्यादेश को नरिस्त कर दिया गया, जिससे मेटकाफ को "भारतीय प्रेस के मुक्तदाता" की उपाधि मिली।
  - मुद्रकों/प्रकाशकों द्वारा अपने परसिर के बारे में सटीक घोषणाएँ करना अनविरय की गई और आवश्यकतानुसार समाप्ति की अनुमति दी गई।
- **वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान लाइसेंसिंग अधिनियम:** 1857 के आपातकाल के कारण आगे लाइसेंसिंग प्रतबंध लगाए गए।
  - मौजूदा रजिस्ट्रीकरण प्रक्रियाओं को संवर्द्धित किया गया, जिससे सरकार को किसी भी मुद्रति सामग्री के प्रसार को रोकने की शक्ति मिल गई।
- **वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम, 1878:** इसे वर्नाक्यूलर प्रेस को विनियमित करने, राजद्रोह से संबंधित लेखन को प्रतबंधित करने और विभिन्न समुदायों के बीच कलह को रोकने के लिये डिज़ाइन किया गया।
  - स्थानीय समाचार पत्रों के मुद्रकों और प्रकाशकों को **सरकार वरिधी या विभाजनकारी वषियों** का प्रसार करने से परहेज के लिये एक बॉण्ड पर हस्ताक्षर करने की मांग की गई।
  - मजिस्ट्रेट द्वारा लिये गए नरिणय न्यायालय में अपील के किसी भी अवसर के बनिा अंतिम होते थे।
- **समाचार पत्र (अपराधों को उकसाना) अधिनियम, 1908:** हसिा या हत्या को उकसाने, आपतजनक वषिय-वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली प्रेस संपत्तियों को ज़ब्त करने के लिये मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिया गया।
  - **उग्र राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तलिक को राजद्रोह के आरोपों का सामना करना पडा** और उन्हें मांडले ले जाया गया, जिससे व्यापक वरिोध और हड़ताल के घटनाएँ हुईं।
- **भारतीय प्रेस अधिनियम, 1910:** स्थानीय सरकार रजिस्ट्रीकरण के समय सुरक्षा की मांग कर सकती थी, उल्लंघन करने वाले समाचार पत्रों को दंडित कर सकती थी और जाँच के लिये नशुलक प्रततियों की मांग कर सकती थी।
  - वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम के समान कड़े नियम लागू करके प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित किया गया।